आबकारी विभाग

पत्रांकः

जनपद–.....

फुटकर मदिरा की दुकान का नाम (विवरण).....

ऑन लाईन निविदा सूचना आलेख (Two Bid System)

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अव्यवस्थापित देशी मदिरा (देशी शराब–5ग) व विदेशी मदिरा (विदेशी मदिरा–5घ) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु निविदाः– भाग (1)–तकनीकी निविदा हेतु नियम एवं शर्तेः–

1. मदिरा की फुटकर दुकान का व्यवस्थापन हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 220/XXIII-1/2023/04(03)/2023ः देहरादूनःदिनांक 22.03.2023 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु घोषित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2023, शासनादेश संख्याः 267/XXIII-1/2023/04(03)/2023ः देहरादूनःदिनांक 20.04.2023 तथा शासनादेश संख्याः 371/XXIII-1/2023/04(03)/2023ः देहरादूनःदिनांक 17.05.2023 में दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत किया जायेगा।
2. आवेदक आबकारी अधिनियम 1910 तथा दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध मे प्रख्यापित नियमावली व उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2023 तथा तत्सम्बन्ध में निर्गत अन्य शासनादेशों को मानने को बाध्य होगा।
3. मदिरा की फुटकर दुकान का व्यवस्थापन www.uktenders.gov.in पर ऑन लाईन ऑफर के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवशेष अवधि हेतु किया जायेगा।
4. व्यवस्थापन सम्बन्धित विस्तृत विवरण आबकारी विभाग की वैबसाईट www.uttrakhandexcise.org.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
5. सम्पूर्ण निविदा सूचना आलेख के साथ संलग्न प्रारूप–01 पर आवेदन पत्र एवं संलग्न–प्रारूप 02 पर शपथ पत्र दिया जा रहा है। वित्तीय निविदा भाग (2) में केवल ऑनलाईन भरनी होगी। मात्र निर्धारित आवेदन पत्र व शपथ पत्र पर देय सूचना ही मान्य होगी। निर्धारित प्रारूप से भिन्न टंकित या तैयार किये गये आवेदन पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र व शपथ पत्र www.uktenders.gov.in से ही डॉउनलोड कर भरी जायेंगी।
6. मदिरा की फुटकर दुकान के ऑन लाईन व्यवस्थापन हेतु निम्न समय सारणी निर्धारित की जाती हैः–

क०सं०	विवरण	स्थान, दिनांक व समय
01	ऑन लाईन ऑफर प्रकाशन की तिथि	दिनांकः 19.05.2023 के पूर्वान्ह 11:00 बजे तक
02	निविदा अभिलेख ई–पोर्टल पर उपलब्धता की समय सीमा	दिनांकः 19.05.2023 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 24.05.2023 के अपरान्ह 01:00 बजे तक
03	ऑन लाईन ऑफर www.uktenders.gov.in में अपलोड करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांकः 19.05.2023 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांकः 24.05.2023 कं अपरान्ह 01:00 बजे तक
04	सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांकः 19.05.2023 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांकः 24.05.2023 के अपरान्ह 02:00 बजे तक

Scanned with CamScanner

05	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांकः 24.05.2023 के अपरान्ह 03:00बजे सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर कार्यालय में
06	तकनीकी निविदा में सफल आवेदकों की सूची अपलोड करने की समय सीमा	दिनांकः 24.05.2023 के अपरान्ह 03:30 बजे से कार्य समाप्ति तक
07	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांकः 24.05.2023 के अपरान्ह 04:30 बजे से
08	वित्तीय निविदा में सफल आवेदकों की सूची अथवा रिपोर्ट अपलोड करने की समय सीमा	दिनांकः 24.05.2023 के साय 04:55 बजे से
09	निविदा खोलने का स्थान	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर कार्यालय
10	निविदा आमन्त्रित करने वाला अधिकारी	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर

7. आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वैबसाईट www.uktenders.gov.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा की दुकानों हेतु उक्त वैबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी ऐजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.uktenders.gov.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदन केवल ऑनलाईन ही किया जा सकेगा। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं है।
8. मदिरा की फुटकर दुकान हेतु निजी आवेदकों से सम्बन्धित दुकान के न्यूनतम निर्धारित राजस्व के सापेक्ष अधिकतम राजस्व पर ऑन लाईन ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं। मदिरा की दुकानों का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

क० सं०	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	दुकान हेतु निर्धारित राजस्व दिनांकः 25.05.2023 से 31.03.2024 तक (रू० में)			धरोहर धनराशि (रू० में)	शासनादेश संख्याः 267/XXIII-1/2023/04(03)/2023: देहरादूनःदिनांक 20.04.2023 तथा शासनादेश संख्याः 371/XXIII-1/2023/04(03)/ 2023: देहरादूनःदिनांक 17.05.2023 द्वारा निर्धारित न्यूनतम राजस्व (कॉलम 04 का 40 प्रतिशत)
			कुल राजस्व	अनुज्ञापन शुल्क	एम0जी0 फी0		
01	02	03	04	05	06	07	08

9. मदिरा की दुकान हेतु आवंटन के लिए उत्तराखण्ड राज्य के साथ–साथ भारतवर्ष के अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश (सम्पूर्ण भारतवर्ष) के स्थायी निवासी आवेदन हेतु पात्र होंगे।
10. आवेदक आबकारी राजस्व का बकायादार या आबकारी अनुज्ञापनों हेतु विवर्जित (Black Listed) नहीं होना चाहिये।
11. आवेदक को मदिरा दुकान के कुल राजस्व के 15% के बराबर धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र मदिरा दुकान आवंटन के 15 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप जी–39 में प्रस्तुत करना होगा। हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर उत्तराखण्ड आवकारी नीति विषयक नियमावली 2023 के नियम–2.5 में दिये गये प्रपत्र भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
12. मदिरा दुकान हेतु एकल आवेदक के अतिरिक्त अधिकतम दो आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, अर्थात आवेदक, सह आवेदक के साथ आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में दोनों आवेदकों की हैसियत जोड़कर, हैसियत की गणना की जा सकती है। आबकारी राजस्व की जिम्मेदारी दोनों ही आवेदकों की सम्मिलित रूप से होगी।
13. आवेदक/सह आवेदक आवेदन करने की तिथि तक 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

14. आवेदक को ऑन लाईन ऑफर के साथ निम्न प्रपत्र की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑन लाईन अपलोड करनी होगीः–

(i) आवेदन पत्र

(ii) सम्बन्धित शपथ पत्र रू0 10 के नॉन ज्यूडिसियरी स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित

(iii) पहचान पत्र–आधार कार्ड

(iv) पैन कार्ड

(v) प्रकिया शुल्क धनराशि के बैंक ड्रॉफ्ट की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑन लाईन अपलोड करनी होगी।

(vi) वांछित धरोहर धनराशि के बैंक ड्रॉफ्ट की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति अनिवार्य रूप से ऑन लाईन अपलोड करनी होगी।

(vii) आवेदन पत्र के साथ 01 वर्ष का आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

एक बन्द लिफाफे में धरोहर धनराशि तथा प्रकिया शुल्क का ड्रॉफ्ट सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत जमा कराना होगा। सफल आवेदक मदिरा दुकान आवंटन के तत्काल बाद मूल आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे।

15. प्रत्येक मदिरा की दुकान हेतु सम्बन्धित दुकान के कुल न्यूनतम निर्धारित राजस्व के 2.5% (प्रतिशत) के बराबर की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में मूल रूप में, जोकि सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम बना हो, ही स्वीकार्य किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।

16. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी/विदेशी मदिरा दुकान हेतु रू0 60,000/– प्रकिया शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा। प्रत्येक ऑनलाईन आवेदन पर प्रकिया शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

17. आवेदन पत्रों के साथ लगाये जाने वाले धरोहर धनराशि व आवेदन शुल्क के बैंक ड्रॉफ्ट केवल उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, अरबन को–आपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से सम्बन्धित **जिला आबकारी अधिकारी** के नाम बने होने चाहिए **(दिनांक 22.03.2023 के पूर्व के नहीं होंगे)**।

18. एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में अधिकतम दो मदिरा की दुकान ही आवंटित की जा सकेंगी। यदि किसी आवेदक को राज्य में मदिरा की कुल 02 दुकानें आवंटित हो जाती है, तो वह राज्य की अन्य मदिरा दुकान आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदक को अधिकतम दो मदिरा दुकानें आवंटित हो जाने पर अन्य मदिरा दुकान हेतु उसके द्वारा दिये गया ऑफर स्वतः निरस्त माना जायेगा। वे अनुज्ञापी जिनके द्वारा अपनी मदिरा की दुकान नवीनीकृत करा दी गयी है, वह भी दूसरी मदिरा दुकान हेतु आवेदन कर सकता है।

19. आवेदक के पास समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) के प्राविधानों एवं आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकान खोलने के लिये उपयुक्त परिसर/किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था होनी चाहिये। प्रस्तावित परिसर किसी विधि या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया होना चाहिये।

Scanned with CamScanner

20. ऑन लाईन आफर में प्राप्त आवेदन पत्रों का Technical Evaluation जनपद स्तरीय आवंटन समिति द्वारा निम्न प्रारूप में किया जायेगाः–

क्र० सं०	आवेदक/सह आवेदक का विवरण	आवेदक/सह आवेदक की उम्र 21 वर्ष अथवा उससे अधिक है या नहीं	दुकान का विवरण	दुकान का प्रकार	आवेदन पत्र है या नहीं	शपथ पत्र है या नहीं	आधार कार्ड है या नहीं	निर्धारित प्रकिया शुल्क है या नहीं	निर्धारित धरोहर धनराशि है या नहीं	आई0टी0आर0 के एक वर्ष की प्रमाणित प्रति है या नहीं	पैन कार्ड है या नहीं
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

21. Technical Evaluation में सही पाये गये आवेदकों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। **प्रत्येक दुकान हेतु पृथक से आवेदन, मूल धरोहर धनराशि का ड्रॉफ्ट, मदिरा दुकान की प्रोसेसिंग फीस का ड्रॉफ्ट तथा पृथक से ऑन लाईन ऑफर प्रस्तुत किया जायेगा।**
22. Technical Evaluation के खोलने के समय आवेदक/सह आवेदक या उनका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। Technical Evaluation में सफल आवदेकों की सूची ऑन लाईन अपलोड की जायेगी।
23. आवेदक/सह आवेदक द्वारा गलत तथ्य तथा Corrupt & Fraud Practice करने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
24. मदिरा की दुकान हेतु निर्धारित राजस्व के सापेक्ष अधिकतम ऑफर दाता को मदिरा दुकान आवंटित किया जायेगा। ई–टेण्डर प्रकिया में मदिरा दुकान हेतु निर्धारित राजस्व या उससे अधिक राजस्व पर अधिकतम ऑफरदाता द्वारा मदिरा दुकान के संचालन हेतु मना करने या किसी अन्य कारण से मदिरा दुकान का आवंटन न होने पर निर्धारित राजस्व या उससे अधिक राजस्व के ऑफरदाताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत ऑफर के अवरोही कम में मदिरा दुकान संचालन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी तथा मदिरा दुकान संचालन हेतु तद्नुसार अनुमति प्रदान की जायेगी
25. आवेदक ऑन लाईन Bid Submission की अन्तिम तिथि व समय से पूर्व अपनी बिड को संशोधित कर सकता है या वापस ले सकता है।
26. ऑन लाईन ऑफर www.uktenders.gov.in पर ही जमा (Submit) कर सकता है, इसके अतिरिक्त ऑफर किसी अन्य माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगें।
27. कोई भी ऑन लाईन आफर वेवसाइट www.uktenders.gov.in पर ही मान्य होगा। आवेदक को ऑन लाईन ऑफर भरने पर एक यूनिक आई0डी0/आईडेन्टीफिकेशन नम्बर प्राप्त होगा। उक्त नम्बर ही ऑन लाईन आवेदन किये जाने का प्रमाण होगा। उक्त प्रमाण को प्रस्तुत करने पर वह निविदा खुलते समय प्रवेश पा सकेगा।
28. जनपद की जिन दुकानों (देशी/विदेशी) हेतु निर्धारित धनराशि पर मात्र एक ही ऑफर प्राप्त हुआ हो, उसका आवंटन राजस्व के अवरोही कम में सर्वप्रथम किया जायेगा, तत्पश्चात् दुकान का व्यवस्थापन पहले विदेशी मदिरा से आरम्भ होगा। सबसे पहले अधिकतम निर्धारित राजस्व वाली दुकान के लिये ऑफर खोले जायेंगे और उसके बाद राजस्व के अवरोही कम (Descending Order) में यह प्रकिया जारी रखी जायेगी। विदेशी मदिरा की दुकान के लिये व्यवस्थापन प्रकिया सम्पन्न होने के बाद देशी मदिरा की दुकान के लिये ऑन लाईन ऑफर खोलने की कार्यवाही उपरोक्त की भांति की जायेगी और इसमें भी अधिकतम राजस्व वाली दुकान से आरम्भ कर अवरोही कम में अनुज्ञापनों

Scanned with CamScanner

का व्यवस्थापन किया जायेगा। उपरोक्त के पश्चात् बीयॅर की दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा।

29. यदि दो या अधिक व्यक्तियों की ऑन लाईन ऑफर एक समान है, तो जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी उन समस्त आवेदकों, जिनके ऑफर की धनराशि एक समान है, को अपने सम्मुख बुलाकर अधिकतम राजस्व की प्राप्ती हेतु निगोशिएशन करेंगे। निगोशिएशन के दौरान जिस किसी भी आवेदक द्वारा न्यूनतम निर्धारित राजस्व से अधिक राजस्व पर अधिकतम ऑफर दिया जायेगा, सम्बन्धित दुकान उक्त ऑफरदाता/आवेदक को आवंटित कर दी जायेगी।

30. ई–टेण्डर प्रकिया में मदिरा दुकान हेतु निर्धारित राजस्व या उससे अधिक राजस्व पर अधिकतम ऑफरदाता द्वारा मदिरा दुकान के संचालन हेतु मना करने पर निर्धारित राजस्व या उससेअधिक राजस्व के ऑफरदाताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत ऑफर के अवरोही क्रम में मदिरा दुकान संचालन हेतु प्राथमिकता दी जायेगीतथा मदिरा दुकान संचालन हेतु तद्नुसार अनुमति प्रदान की जायेगी।

31. आवेदक को दुकान आवंटित होने के 30 दिवस के भीतर चरित्र प्रमाण पत्र एवं मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र तथा 15 दिवस के भीतर जी0–39 में हैसियत प्रमाण पत्र सहित अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण करनी होंगी। निर्धारित अवधि में औपचारिकताऐं पूर्ण न करने पर या निर्धारित अवधि के भीतर हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र/पेन कार्ड/आई0टी0आर0 रिटर्न प्रस्तुत न करने पर दुकान के निरस्तीकरण की कार्यवाही आवंटी के जोखिम पर की जायेगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र ·

Scanned with CamScanner

हैसियत, स्थायी निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आई0टी0आर0 रिटर्न इत्यादि विवाद रहित होने चाहिए।

32. दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को लाईसेन्स फीस की समस्त धनराशि को तत्काल जमा कराना होगा।
33. दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को प्रथम प्रतिभूति 07 दिन के भीतर नकद जमा कराना अनिवार्य होगा एवं द्वितीय प्रतिभूति राशि के बराबर बैंक गारण्टी अथवा नकद दुकान व्यवस्थापन के 30 दिन के भीतर आवश्यक रूप से नियमानुसार जमा कराना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिभूतियों को जमा न करने पर मदिरा दुकान को निरस्त कर पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।
34. यदि कोई आवेदक दुकान के आवटंन पश्चात् लाईसेन्स फीस तथा प्रतिभूति जमा नही करता है या अन्य औपचारिकतायें पूर्ण नहीं करता है, तो जमा धरोहर धनराशि, लाईसेन्स फीस तथा प्रतिभूति यदि कोई जमा है, को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर दुकान को निरस्त कर पुर्न व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी तथा सम्बन्धित को आबकारी अनुज्ञापनों हेतु विवर्जित (Black Listed) कर दिया जायेगा।
35. मदिरा की दुकानों में निर्धारित दरों से अधिक अथवा निर्धारित न्यूनतम दर से कम पर मदिरा बिक्री करने पर उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2023 के नियम–12.6 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
36. दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में The Uttarakhand Excise (Settlement of Licences for retail sale of Foreign Liquor and Beer/Country Liquor) Rules 2001 (अद्यतन तक संशोधित) तथा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2023 में दी गयी व्यवस्था के तहत कार्यवाही की जायेगी।
37. अनुज्ञापी किसी ऐसे विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो, को नियुक्त नहीं करेगा।
38. सफल अनुज्ञापी मदिरा दुकान को किसी अन्य को पावर आफ अर्टोनी के आधार पर संचालित करने या दुसरे के पक्ष में अन्तरण नहीं करेगा।
39. प्रदेश के हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर जनपद को छोड़कर जनपद देहरादून की कालसी तथा चकराता तहसील, जनपद नैनीताल की नैनीताल, बेतालघाट, धारी व कोश्याकुटोली तहसील तथा अन्य 09 पर्वतीय जिलों में मदिरा दुकानों हेतु कुल राजस्व के 5 प्रतिशत अनुज्ञापन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही 01 उप मदिरा दुकान खोले जाने की अनुमति होगी, जिसको जिलाधिकारी की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
40. माह अप्रैल, मई व जून में मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी को माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता पड़ती है, तो वह आगामी माहों (माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर) का उठान निर्धारित धनराशि जमा कर अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर में मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी को माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता पड़ती है तो वह आगामी माहों (माह जनवरी, फरवरी व मार्च) का उठान निर्धारित धनराशि जमा कर अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकता है। माह फरवरी व मार्च हेतु निर्धारित एम0जी0डी का पूर्व उठान करने पर निर्धारित एम0जी0डी0, जिसकी मदिरा पूर्व में उठायी जायेगी से सम्बन्धित धनराशि नकद जमा करनी होगी। अग्रिम जमा प्रतिभूति के

Scanned with CamScanner

सापेक्ष किसी भी दशा में अग्रिम निकासी नहीं दी जायेगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देयता न होने की स्थिति में उपरोक्त कारण से समायोजन होने से रह गयी अग्रिम प्रतिभूतियों को जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञापी को वापस किया जा सकेगा।
नोट–उपरोक्तानुसार माह में निर्धारित मासिक एम0जी0डी0 का अधिकतम 25% तक आगामी माह का कोटा पूर्व में उठाया जा सकता है। पूर्व में अग्रिम उठान कर लिये जाने के कारण किसी माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित माह में अनुज्ञापी को अतिरिक्त राजस्व जमा कर मदिरा का उठान करना होगा।

41. किसी भी मदिरा दुकान व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में आबकारी अधिनियम 1910 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम अपीलीय अधिकारी आबकारी आयुक्त/सचिव को अपील की जा सकती है।
42. अनुज्ञापियो तथा जिला आबकारी अधिकारियों की प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में एक बैठक होगी, जिसमें धनराशि के जमा होने, निकासी या अन्य की समीक्षा होगी तथा इसके कार्यवृत्त आयुक्तालय को प्रेषित किये जायेगें।
43. अनुज्ञापी प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप में मदिरा की दुकानों की बिक्री व अन्य निर्देशित विवरण जिला आबकारी अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
44. नियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुज्ञापी को प्रत्येक माह हेतु निर्धारित एम0एम0जी0डी0 माह के बीसवीं तिथि (20) तक जमा करना होगा। निर्धारित एम0एम0जी0डी0 जमा न करने की स्थिति में अनुज्ञापी के अग्रिम जमा से उक्त कम जमा धनराशि समायोजित कर ली जायेगी तथा अनुज्ञापी को नोटिस दिया जायेगा। उक्त अग्रिम जमा में आयी कमी को अनुज्ञापी को माह की समाप्ति तक पूरा करना होगा। यदि अनुज्ञापी कमी की धनराशि को पूरा नहीं करता है, तो पैनाल्टी 18% वार्षिक की दर से न जमा की गयी धनराशि पर अगली माह की 7वी तिथि तक देय होगा, इसके पश्चात् भी अनुज्ञापी धनराशि जमा करने में सफल नहीं होता है, तो उसके जोख़िम पर दुकान का निरस्तीकरण कर, पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।
45. अनुज्ञापी Labour and Environment Regulation के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवस्था का पालन करेगा।
46. अनुज्ञापी को जनस्वास्थ्य व सुरक्षा सम्बन्धित मानकों का अनुपालन करना होगा।
47. अनुज्ञापी को आबकारी नियमों में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत मदिरा व बीयॅर की आपूर्ति निर्धारित राजस्व जमा करने पर निर्धारित थोक अनुज्ञापनों से की जायेगी।
48. अनुज्ञापी को आबकारी नीति वर्ष 2023–24 के नियम–29 में वर्णित ट्रैस व ट्रैक प्रणाली पर आधारित व्यवस्थानुसार दुकान का संचालन करना होगा।
49. प्रत्येक मदिरा की फुटकर दुकानों में IPAddress युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जानी अनिवार्य है, जिससे सम्बन्धित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधि पर आयुक्तालय स्थित कन्ट्रोल रूम से नियन्त्रण रखा जा सकेगा।
50. अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन की शर्तो को न मानने तथा आबकारी अधिनियम के उल्लघन पर उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा–34 या अन्य के अन्तर्गत सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।
51. उपरोक्त उल्लिखित कारणों से यदि दुकान निरस्त की जाती है तथा पुर्नव्यवस्थापन में राजकीय राजस्व की हानि होती है तो उक्त धनराशि की वसूली पूर्ववर्ती अनुज्ञापी (Out Going Licensee) से की जायेगी।

Scanned with CamScanner

52. सफल आवेदक मदिरा की दुकान का संचालन आबकारी नीति वर्ष 2023–24 तथा आबकारी अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत करेगा।
53. मदिरा की दुकानों के अनुज्ञापनों की समाप्ति पर अवशेष मदिरा का निस्तारण आबकारी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
54. यदि कोई शुद्धि पत्र वेबसाईट पर अपलोड किया जाता है तो आवेदक को उसे डाउनलोड कर औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी।
55. आवंटन समिति किसी भी ऑन लाईन आफॅर को बिना कारण बताये स्वीकार या निरस्त कर सकता है अथवा सम्पूर्ण ऑन लाईन ऑफर की प्रकिया को निरस्त कर सकता है।
56. विभाग किसी तकनीकी खराबी, जो उसके अधिकार क्षेत्र में न हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
57. असफल निविदा अभिलेखों को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में सील बन्द कर सुरक्षित रखा जायेगा तथा सफल निविदा के अभिलेखों को सम्बन्धित दुकान की पत्रावली पर अनुरक्षित किया जायेगा।
58. ऑन लाईन प्रकिया हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी तथा मुख्यालय के अपर आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिंग (गढ़वाल एवं कुमॉयू मण्डल) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। किसी भी जानकारी हेतु उपरोक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

भाग–2
वित्तीय निविदा हेतु प्रारूप नियम व शर्तें

तालिका–1

Item Rate BoQ

Tender Inviting Authority: Collector

Name and Type of Shop:

Name of the Applicant/ Co-Applicant :	

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	NUMBER	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Name & type the Shop	Minimum fixed Revenue Rate Rs. P	Offer Rate Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5
				INR Zero Only
Total in Figures				INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only		

1. वित्तीय निविदा के प्रपत्र का प्रारूप उपरोक्त तालिका–1 में दर्शाया गया है।
2. निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा प्रपत्र www.uktenders.gov.in से डॉउनलोड कर अपनी दरें निर्धारित प्रारूप में भरकर ई–पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। उक्त प्रकिया पूर्ण रूप से ऑन लाईन होगी। इस प्रकिया में वित्तीय निविदा की स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी।
3. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन आबकारी नीति विषयक नियमावली–2023 के अन्तर्गत अधिकतम ऑफर दरों (H-1) के आधार पर किया जायेगा, जो निविदा दाता तकनीकी रूप से सफल पाया जाता है तथा अधिकतम ऑफर दरें देता है वह Highest-1 (H-1) सफल निविदा दाता घोषित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner